भारत में महिला कल्याण: एक समग्र अवलोकन

Dr. Ajay Kumar Rao
Ph.D in Economics, B.R.A Bihar University, Muzaffarpur, Bihar.

महिलाएं सृष्टि की जननी होती है। ये कभी मातृ रूप में, कभी पत्नी रूप में तो कभी पुत्री के रूप में भूमिकाओं का निर्वहन करती है। सामाजिक उत्थान में इनका योगदान अतुलनीय तथा प्रयास सराहनीय है। यद्यपि महिला को कभी दुर्बल तथा अबला माना जाता है लेकिन वे समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। जिन देशों में महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार एवं सुख.सुविधाएँ प्राप्त नहीं होता है वहां महिला कल्याण का बात उठाया जाना प्रासंगिक प्रतीत होता है। भारत में भी महिला कल्याण एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यहां पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं विकास पटल पर पिछड़ी मानी जाती है।

महिला कल्याण के अंतर्गत वे सब प्रयास आते हैं जो महिलाओं के बेहतरी के प्रयोजन से युक्त होती हैं। महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उन्नति ही इसका लक्ष्य होता है। महान विचारक पी एल कैसलमैन कहते हैं. महिलाओं की समस्याओं को दूर करके उनके विकास एवं कल्याण में मदद करने के तरीके को महिला कल्याण कहा जाता है।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति:

भारतीय महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राचीन काल में प्राप्त था भारतीय परिपेक्ष्य में कहा जाता है. **यत्र नार्य्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता।** अर्थात जिस कुल में स्त्रियों की पूजा होती है वहां कुल के देवता प्रसन्न रहते हैं। भारत में मध्यकालीन युग में महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है। इस युग में शोषण एवं दुर्व्यवहार का बोलबाला रहा। आधुनिक युग में ब्रिटिश काल के दौरान सतीप्रथा, नरबलि प्रथा, बाल विवाह की प्रथा व्यापक रूप से फैल चुकी थी। इस काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रमुख रूप से राजाराम मोहन राय,ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट ने प्रयास किया। इस काल में कड़े कानून बनाकर सामाजिक बुराइयों का अंत किया गया।

आजादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के लिए शिक्षाए स्वास्थ्यए पोषण से संबंधित कई कार्यक्रम शुरू किए गए। 21वीं सदी आते.आते महिलाओं की स्थिति में बदलाव दृष्टिगोचर हुआ किन्तु इनकी शैक्षणिक सामाजिक,आर्थिक स्थिति में बदलाव संतोषजनक नहीं रही। शिक्षा एवं व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई पर कई समस्याएं महिलाओं के शोषण का साक्ष्य बनी । 21वी सदी में भी दहेज-हिंसा, बलात्कार,यौन अपराध, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर भेदभाव, सम्मानपूर्ण जीवन का अभाव, संप्रदायिक तनाव महिलाओं को कमजोर बनाने का कार्य किया है।

तालिका .1
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

हिंसा	2001	2006	2009
बलात्कार	16075	19348	21397
दहेज	6851	7618	8383
यौन उत्पीड़न	9746	9966	1109
लड़कियाँ का आयात	114	67	48
छेड़.छाड़	34124	36617	38711

स्त्रोत:. भारत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत में महिलाओं की समस्याएं:

भारत की आजादी के 7 दशक पूरे होने वाले हैं फिर भी अनेकानेक प्रयासों के बावजूद आज भी भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में शैक्षणिकए आर्थिकए सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है। नई आर्थिक नीति 1991 के बाद महिलाओं की स्थिति में चौतरफा विकास परिलक्षित हो रहा है। फिर भी इन की समस्याएं गंभीर रूप में दिखाई देती है।

निम्न सामाजिक स्थिति:

भारत में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा दुर्बल बनी हुई है। इन्हें पितृसत्तात्मक परिवारों से रूबरू होना पड़ता है। न्याय निर्णयन में महिलाओं की स्थिति काफी पिछड़ी हुई है उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा उनके निर्देशों का पालन करना पड़ता है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी कई परंपरागत प्रतिबंधों के वजह से इन्हें पुरुष की अपेक्षा निम्न जीवन जीना पड़ता है।

शिक्षा एवं साक्षरता की समस्या:

आज भी शैक्षिक प्रगति के मामले में वास्तविकता भयावह सी प्रतीत होती है। हालांकि कई शैक्षणिक सुधारो ने हालात में परिवर्तन किया है फिर भी आधी आबादी विकास के इस पवित्र मानक पर दोयम दर्जे पर स्थित है।

तालिका. 2

भारत में महिला पुरुष साक्षरता का प्रतिशत

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1951	18.33	27.16	8.86
1961	28.30	40.40	15.35
1971	34.45	45.96	21.97
1981	43.57	56.38	29.76
1991	52.21	64.13	39.29
2001	64.84	75.26	53.67
2011	74	80.90	65.60

स्त्रोत. भारत की जनगणना के विभिन्न अंक .

आर्थिक निर्भरता की समस्या

दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में महिलाएं अपने जीवन निर्वाह के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती है। प्रारंभिक तौर पर उन्हें कई प्रतिबंधों ने पिछड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। चूल्हा.चौकी तक सीमित रहने के लिए बाध्य किया जाता है। कई क्षेत्रों में उन्हें आगे आने पर सामाजिक तौर पर प्रतिबंध सा बना हुआ है। संगठित क्षेत्र में इनकी भूमिका असंतोषजनक है। समुचित शिक्षा एवं ट्रेनिंग के अभाव ने इनके आर्थिक स्वतंत्रता को कैद कर लिया है।

पोषाहार एवं स्वास्थ्य की समस्या

महिलाओं को सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं के अतिरिक्त प्रसूति एवं कुपोषण की समस्या का सामना करना पड़ता है। देश में महिलाओं की निम्न आय उन्हें कुपोषित होने पर मजबूर करती है। समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई महिलाएं असामयिक मौत को गले लगाती है। गर्भवती महिलाएं जानकारी एवं सुविधा के अभाव में कुपोषित बच्चे को जन्म देती है। परिवार नियोजन तथा जागरूकता के प्रति उदासीनता भारत में खासकर गांव की महिलाओं को बीमारियों के जाल में फंसा लेती है। *मातृ मृत्यु दर* का उच्च होना गंभीर विषय है।

निराश्रित एवं परित्यक्त महिलाओं की समस्याएं

भारत में विधवाओं, त्यागीगईस्त्रियों, वृद्धाओं, तलाकशुदा तथा गंभीर बीमारी से पीड़ित महिलाओं के प्रति उदासीनता एक आम समस्या है। तीन तलाक तथा विधवा पुनर्विवाह के प्रति घोर आशंका का माहौल भारत में दिखाई देता है। पतियों द्वारा त्यागी गई

परित्यक्ता महिलाएं नारकीय जीवन जीने को विवश है। प्राकृतिक आपदा आतंकवाद सांप्रदायिक झगड़े की वजह से कई महिलाएं सर्वाधिक कष्ट भोगती है।

कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ

भारत में खासकर असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं का शोषण कई स्तर पर होता है। निम्न मजदूरी, काम के अधिक घंटे, आवास एवं यातायात सुविधा का अभाव, प्रसूति संबंधी समस्याएं, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, काम की कठिन दशाएं तथा दोहरे काम की समस्या कामकाजी महिलाओं की सामान्य समस्याएं हैं। इसके अतिरिक्त दोयम दर्जे का व्यवहार, प्रतिष्ठा की कमी, कार्यस्थल पर यौन अपराध तथा आर्थिक असुरक्षा महिलाओं की मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालते हैं।

भारत में महिला कल्याण कार्यक्रम

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की दशा एवं दिशा सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। साथ ही संविधान में महिलाओं के विकास एवं प्रगति के लिए अनेक उपबंध बनाए गए। योजना आयोग की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं (1951-2017) में महिलाओं की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए। देश में सरकार तथा सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा महिला कल्याण के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं-

संवैधानिक प्रयास

भारतीय संविधान के विभिन्न भागों तथा अनुच्छेदों को महिला के कल्याण हेतु कई उपबंध दिए गए हैं:-

- अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान है।
- अनुच्छेद 16 किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- अनु-15 - लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध है
- अनुच्छेद 23 में बेगार के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है
- अनुच्छेद 39 (समान कार्य के लिए समान वेतन
- अनुच्छेद 42 मातृत्व लाभ की बात
- अनुच्छेद 243 (घ) तथा (न) में स्थानीय स्वशासन में महिला के लिए स्थान सुरक्षित।

घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण विधेयक 2005- इस कानून में घरेलू हिंसा- जैसे- महिला को अपमानित करने, गलत नाम पुकारने, कटाक्ष करने, यौन दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा माना गया है। इस कानून के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समयांतराल में सती प्रथा, दहेज प्रथा , बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाए गए हैं।

श्रम विधानों में भी कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को खतरनाक एवं हानिकारक गतिविधियों में शामिल करने पर रोक है। रात्रि में काम करने पर रोक, शिशु देखभाल, मातृत्व अवकाश, अलग शौचालय, मूत्रालय, शिशु गृह आदि पर पर्याप्त प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। समान पारिश्रमिक एक्ट 1976 में महिला-पुरुष को समान काम पर समान

पारिश्रमिक का प्रावधान है। मातृत्व हितलाभ एक्ट 1961 में प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात अवकाश को उपबंधित किया गया है। साथ ही चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष कार्यक्रम :- भारत में 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ जिसने अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना (1951 - 2017) लागू कर चुका है। इस योजनाओं में महिलाओं के लिए कई कल्याण एवं विकास से संबंधित ठोस कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। जैसे शिक्षा एवं साक्षरता, परिवार कल्याण ,प्रशिक्षण, पोषाहार एवं स्वास्थ्य, निर्धनता तथा बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम तथा सामाजिक बीमा एवं सुरक्षा के द्वारा महिलाओं के हितों पर कई ठोस प्रयास किए गए हैं।

i. **शिक्षा एवं साक्षरता से संबंधित कार्यक्रम :-** बालिकाओं के बीच शिक्षा एवं साक्षरता से संबंधित अनेक कार्यक्रम आजादी के बाद से ही शुरू किया गया है। महिला साक्षरता के निम्न दर को देखते हुए खासकर पिछड़े वर्ग , दलित महिला उत्थान के लक्ष्य से कई शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। शिक्षा एवं साक्षरता के महत्व को देखते हुए स्कूल कॉलेज की स्थापना व्यवसायिक तकनीकी तथा उच्च शिक्षा वाली संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण, नामांकन में छूट, छात्रावास का निर्माण, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, महिला शिक्षकों का प्रशिक्षण आदि पर फोकस किया गया है। इन प्रयासों का सुखद परिणाम भी सामने आया है। 1951 में भारत की महिला साक्षरता 8.86% थी जो 2011 में 65.6% पहुंच गए हैं। हालांकि कुछ पिछड़े राज्यों की स्थिति में बेहतर बदलाव होना बाकी है। 2001 में शुरू की गई सर्व शिक्षा अभियान (SSA) मैं लैंगिक अंतराल को कम करने का प्रयास किया गया है।

ii. **समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS)**

2 अक्टूबर 1975 को राष्ट्रीय बालनीति के तहत समेकित बाल विकास सेवाएं नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य- 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के पोषाहार एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना, बच्चों के शारीरिक, समाजिक विकास की नींव डालना, रुग्णता, मृत्यु दर तथा कुपोषण को कम करना था। इसके अंतर्गत बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात देखभाल करने का लक्ष्य किया गया। बच्चों को टीकाकरण, पूरक पोषाहार आदि सेवाएं देकर बाल्यवस्था का संवर्धन करने का प्रयास किया जा रहा है।

iii. **महिलाओं का सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण**

भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विशेष कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं का सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। इस मंत्रालय के नेतृत्व में कई विकासोन्मुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे स्वशक्ति परियोजना, स्वयं सिद्धा (1998), इन्दिरा महिला योजना (1995) तथा स्वयं सहायता समूह (SHG) के द्वारा महिलाओं की स्थिति पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, कानूनी अधिकार, आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही रोजगार प्रशिक्षण एवं शिक्षक कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास हो रहा है। मुख्य कार्यक्रमों में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण तथा रोजगार एवं

आय में वृद्धि के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे मनरेगा में महिलाओं का स्थान सुरक्षित किया गया है।

महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राष्ट्रीय नीति 2001 के द्वारा महिलाओं की प्रगति विकास एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं के साथ भेदभाव को शुन्य करते हुए विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाकर इस पर अमल किया जा रहा है।

इस प्रकार ज्ञातव्य है कि आजादी से लेकर अभी तक प्रत्येक स्तर पर विकास एवं सशक्तिकरण हेतु प्रयास केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जा रहा है। उपयुक्त कार्यक्रमों के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन (1992) में किया गया है। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भूमिका का स्थान आरक्षित करके इनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया गया है। कई राज्य सरकारें अपनी नौकरियों में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित किया है जैसे बिहार सरकार ने अपनी नौकरियों में 35% स्थान महिला के लिए आरक्षित कर दिया है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न स्वैच्छिक संगठन भी सशक्त भूमिका निभा रहे हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

संविधान लागू होने के 6 दशक बाद भी महिलाओं के प्रति पितृसत्तात्मक समाज में समानजनक स्थान प्राप्त होना शेष है। भारतीय समाज संविधान के अलावे धर्म,संस्कार, रीती रिवाज द्वारा भी निर्देशित है। सिर्फ कानून बना देना पर्याप्त नहीं है। जिस हक एवं सम्मान के अधिकारी महिलाएं हैं उन तक पहुंचाना आसमान से तारा लाने के समान है। चौतरफा प्रयास के द्वारा शिक्षित करते हुए सशक्तिकरण के पथ का गमन करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कुछ आशंकाएं निराशावादी पक्ष उजागर करती है, परंतु चूल्हा-चौकी से चंद्रयान तथा इसरो (ISRO) तक का सफलतापूर्वक सफर उत्साह से भर देता है.

महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए सुझाव निम्न हो सकते हैं-

शिक्षा के साथ कानूनी शिक्षा

शिक्षा के साथ-साथ कानूनी शिक्षा के प्रति जागरूकता एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। कानूनी सहायता के बारे में महिला समाज अनभिज्ञता के दौर से आज भी गुजर रहा है। वर्तमान परिवेश में नई-नई समस्याएं महिलाएं को घेर रही है। शोषण से बचाने के लिए कानूनी शिक्षा एवं मानवाधिकार का ज्ञान समय की जरूरत है।

सतत मॉनिटरिंग

विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता दिया गया है परंतु सतत मॉनिटरिंग के अभाव से लक्ष्य की प्राप्ति संदेह के घेरे में रहती है। इसलिए स्वतंत्र एजेंसी द्वारा समय-समय पर मॉनिटरिंग कराना सुखद परिणाम दे सकता है।

ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था

कंप्यूटर युग में महिलाओं के प्रति कई तरह के अपराध उन्हें हतोत्साहित करते हैं। इस परिस्थिति में इन्हें अपने कार्यस्थल पर शिकायत सेल का होना जरूरी है तथा शिकायत ऑनलाइन हो इसकी व्यवस्था समय की मांग है। शिकायतकर्ता की सुरक्षा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शीघ्र न्याय मिलने से भी महिलाओं के प्रति अपराध घट सकते हैं तथा उनका विकास उचित ढंग से हो सकता हैं।

समन्वय की जरूरत

सरकार समाज तथा स्वतंत्र एजेंसियों के बीच उचित समन्वय जरूरी है। समन्वय के अभाव में कई उच्च मानक वाले कार्यक्रम बिखर जाते हैं तथा समय एवं लागत बढ़ जाता है। केंद्र सरकार, राज सरकार, स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय होने से किसी भी कल्याणकारी योजना की सफलता दर बढ़ सकती है।

भारत में महिला साक्षरता कार्यक्रम को ईमानदारी से लागू करना होगा। मानवाधिकार दिवस, महिला दिवस मनाने को लेकर केवल रस्म नहीं प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है। महिला कल्याण का नेतृत्व महिलाओं से बेहतर दूसरा नहीं कर सकता है।

संदर्भ:

1. वुमेन एंड डेवलपमेंट, द इंडियन एक्सपीरियंस वाई मीरा सेठ
2. श्रम एवं समाज कल्याण, पारसनाथ , आदित्य क्लासेज , पटना
3. योजना 2009 एवं 2015 प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय , भारत सरकार,
4. प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय अर्थव्यवस्था, अतिरिक्तांक, उपकार प्रकाशन, आगरा
5. भारतीय अर्थव्यवस्था, महेश कुमार वर्णवाल, कॉसमॉस पब्लिकेशन, दिल्ली
6. फीमेल एजुकेशन एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ वूमेन इम्पावरमेंट, ए केस स्टडी ऑफ़ बिहार, थिसिस- अजय कुमार राव, बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर
7. श्रम एवं समाज कल्याण, लेखक पी.आर.एन. सिन्हा एवं इंदुबाला, भारती भवन, पटना-1